ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/3203/2006/हनुमानगढ़ विचित्र सिंह बनाम काशीराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री प्रदीप नेहरा, अधिवक्ता अपीलार्थी।
अधिवक्ता प्रत्यर्थी व प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

––

निर्णय

दिनांक 24–10–19

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–04–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी सं0 1 काशीराम ने सहायक कलक्टर, संगरिया जिला हनुमानगढ़ के न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक का पेश किया। विचारण न्यायालय ने उक्त दावे को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। अपीलार्थी/प्रतिवादी सं0 1 ने जवाबदावा पेश किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की गई। बाद सुनवाई विचारण न्यायाालय ने अपने निर्णय दिनांक 08–03–2004 द्वारा वाद खारिज कर दिया व अपीलार्थी/प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम भी खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर एक प्रथम अपील प्रत्यर्थी सं0 1 काशीराम ने राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13–04–2006 द्वारा स्वीकार कर सहायक कलक्टर, संगरिया का निर्णय

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/3203/2006/हनुमानगढ़ विचित्र सिंह बनाम काशीराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व डिक्री दिनांक 08-03-2004 निरस्त कर दिया व काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील पेश की गई है। हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध, विधिक प्रक्रिया की अवहलेना करते हुए एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत तथा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर अपना निर्णय प्रदान किया है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिक त्रुटि से ग्रस्त है, अतः द्वितीय अपील स्वीकार की जावें। हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तनकियों का निस्तारण आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के माध्यम से पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर किया है। हमारी सुविचारित राय में जब विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त दस्तावेज पेश ही नहीं हुए थे तो तनकियों के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अंकित निष्कर्षो को अभिलेख के विपरीत नहीं कहा जा सकता। इस स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रथम	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/3203/2006/हनुमानगढ़ विचित्र सिंह बनाम काशीराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। ऐसी स्थिति में प्रकरण विचारण न्यायालय को इन दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में पुनः निस्तारण हेतु भिजवाया जाना उचित समझते है। क्योंकि प्रकरण हमारे द्वारा विचारण न्यायालय को पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जा रहा है, अतः प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की विवेचना किया जाना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि हमारे निष्कर्ष अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं पक्षकारों के हितों पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13-04-2006 व सहायक कलक्टर, संगरिया द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08-03-2004 निरस्त किमए जाते है तथा प्रकरण सहायक कलक्टर, संगरिया को उपरोक्तानुसार पक्षकारों को सुनकर पुनः निर्णय पारित किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुनील कुमार शर्मा) (शिखर अग्रवाल) सदस्य सदस्य	